न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 91/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. अमरा पुत्र खीया जी 2. धन्ना पुत्र खीया जी 3. मला पुत्र खीया जी 4. भीकाराम पुत्र खीया जी 5. प्रकाश पुत्र भीकाराम जातिगण माली (सांखला) निवासीगण आनन्दपुर कालु, लीलरिया बेरा मोतीवाला, कावलियां कला, तहसील जैतारण जिला पाली		1. बींजाराम पुत्र शिवराम उर्फ श्रीराम जी जाति माली निवासी बेरा छापरिया, आनन्दपुर कालु, तहसील जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री गंगासिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 15.11.2018

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 138/2012 बींजाराम बनाम अमरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें जैर अपील विवादित आराजी को अपने पिता की कब्जा काश्तसुदा खातेदारी भूमि होना बताते हुए खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा। उक्त वाद के साथ अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया । अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट के भाई भंवरू उर्फ श्रीराम पुत्र खीयाजी की खातेदारी भूमि थी, जिसके खातेदारी अधिकार धारा 19 के तहत अपीलाण्ट के भाई को प्रदान किए गए थे तथा भंवरू उर्फ श्रीराम फौत होने पर उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। जैर अपील विवादित आराजी पर आज भी अपीलाण्ट काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2006 में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव से मिलावट करते हुए श्रीराम के नाम से फर्जी मतदाता परिचय पत्र बनवाया तथा फर्जी राशनकार्ड बनवाया। इसके बाद बिलाडा निवासी बाबूलाल को फर्जी श्रीराम बनाते हुए जैर अपील विवादित आराजी की बेचान रजिस्ट्री अब्दुल हमीद के नाम से करवाई, उसके पश्चात अब्दुल हमीद ने यह भूमि रतनदान को बेचान की एवं रेस्पोडेन्ट ने रतनदान से अपने नाम से रजिस्ट्री कराने की कोशिश की। इसका ज्ञान जब अपीलाण्ट को हुआ, तब अपीलाण्ट ने उक्त रजिस्ट्री को रूकवाने हेतु कार्यवाही की। तब रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं को श्रीराम का पुत्र होना बताते हुए वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जबकि वास्तविक रूप से रेस्पोडेन्ट श्रीराम का पुत्र न होकर हीराराम का पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट के समस्त राजकीय दस्तावेज आदि में उसकी वल्दियत बींजाराम पुत्र हीराराम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें रेस्पोडेन्ट ने भू0अ0नि0 से मिलकर जैर अपील विवादित आराजी पर स्वयं का कब्जा काश्त होना अंकित करवाया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि भू0अ0नि0 द्वारा कभी मौका निरीक्षण ही नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्ट के कहे अनुसार तथ्य अंकित कर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए गए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1423, आर0आर0टी0 2006 (2) पेज 1410, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 523, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1165, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1439, आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 634 एवं आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 633 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थायी व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किया था। जिसका मुख्य आधार यह था कि जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के पिता शिवराम उर्फ श्रीराम के नाम धारा 19 के तहत जो खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए एवं जो नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें अपीलाण्ट के पिता की वल्दियत मिया के स्थान पर खीया दर्ज कर दी गई, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि इससे पूर्व के दस्तावेज यथा गिरदावरी सम्वत् 2010, 2011, 2012 में उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पिता का कब्जा काश्त था, जिसमें उनका नाम श्रीराम व शिवराम वल्द मिया कौम माली सा0 आ0कालु दर्ज है। इन तथ्यों के समर्थन में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। जब अपीलाण्ट जैर अपील विवादित आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने का प्रयास करने लगे, तब रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा भू0अ0नि0 से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें भू0अ0नि0 द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें निवेदन किया कि जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार ग्राम कावलिया खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 273 के खसरा नम्बर 525 की भूमि श्रीराम पुत्र खीया कौम माली के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रकरण में मूल विवाद का विषय यह प्रकट होता है कि एक ओर अपीलाण्ट द्वारा अपने भाई भंवरू को ही शिवराम बताया है तथा भंवरू उर्फ शिवराम के फौत होने पर जैर अपील विवादित आराजी स्वयं के कब्जे काश्त में होना बताया है, वहीं दूसरी ओर रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं को शिवराम उर्फ श्रीराम का पुत्र होना बताते हुए जैर अपील विवादित आराजी की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है, जबकि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को हीराराम का पुत्र होना बताया है। अब पत्रावली के संलग्न जो दस्तावेजात् प्रस्तुत किए है, उनमें जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में जो बेचान दस्तावेज निष्पादित किए गए है, उनका विवेचन किया जाना आवश्यक है, उसके अनुसार श्रीराम पुत्र खीया जाति माली निवासी मालियों की ढाणि, कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण द्वारा बहक श्री अब्दुल हमीद पुत्र कालू खां के पक्ष में दिनांक 14.05.2012 को जैर अपील विवादित आराजी का बेचान दस्तावेज उप पंजीयक जैतारण के समक्ष निष्पादित किया, जिसमें श्रीराम द्वारा स्वयं की उम्र 60 वर्ष बताई, इस अनुसार गणना की जाने पर उक्त श्रीराम का जन्म वर्ष 1952 में होना पाया जाता है, जो सम्वत् 2010 में काश्त करने योग्य था अथवा नहीं, यह जांच का विषय है तथा इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, जो सम्भवतः जैर अनुसंधान है, इस कारण इस बिन्दु पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जिन न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया, वे सम्मानीनय अवश्य है, किन्तु हस्तगत मामले पर चस्पा नहीं होतें है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में न तो वे रेकर्डेड खातेदार है तथा न ही ऐसा कोई साक्ष्य पटल पर आया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि जैर अपील विवादित आराजी पर वे काबिज काश्त हो। हालांकि अपील में जिन बिन्दुओं को उठाया गया है, उनका मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर साक्ष्य संग्रहित होने के पश्चात, साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चित होने पर ही निर्णय किया जा सकेगा, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश वाद बाहुल्यता को रोकने की दृष्टि से आवश्यक था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 138/2012 बींजाराम बनाम अमरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली